


148

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98



REGD. NO. D. L -33004/98



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

Ms  
26/2/99

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]  
No. 85]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 1999/माघ 27, 1920  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 1999/MAGHA 27, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 111(अ).— केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 §1966 का 31§ की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ §1§ में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का, जैसी वे इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ §2§ की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है।

अनुसूची

§ 1 §

§ 2 §

1. पंजाब साधारण विक्रय कर  
§संशोधन और विधिमन्त्र्य-  
करण§ अधिनियम, 1987  
§1987 का पंजाब अधिनियम  
सं० 8§

1. धारा 2 में, -  
§क§ पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम,  
1948 शब्दों और अंकों के स्थान पर चण्डीगढ़  
संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रयुक्त पंजाब साधारण  
विक्रय-कर अधिनियम, 1948 शब्द और  
अंक रखे जाएंगे,

(1)

- §संशोधन §उ§ में, प्रतिस्थापित खण्ड §फ§ के स्पष्टीकरण §1§ में पंजाब राज्य और पंजाब शब्दों के स्थान पर क्रमशः "बंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" और बण्डीगढ़ शब्द रखे जाएंगे ।
- 2- धारा 4 में, राज्य सरकार शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, केन्द्रीय सरकार शब्द रखे जाएंगे।
- 2- पंजाब साधारण विद्युत-कर [संशोधन] अधिनियम, 1990 §1990 का संप्रति अधिनियम सं० 3§
- 1- धारा 2 में, पंजाब साधारण विद्युत-कर अधिनियम, 1948 शब्दों और अंकों के स्थान पर बण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब साधारण विद्युत-कर अधिनियम, 1948 शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
- 2- धारा 3 में, §नई धारा 10-क में§ और धारा 4 में §नई धारा-30-क में§ राज्य सरकार शब्दों और राज्य शब्द के स्थान पर क्रमशः केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र शब्द रखे जाएंगे ।
- 3- पंजाब साधारण विद्युत-कर [दूसरा संशोधन] अधिनियम, 1993 §1993 का पंजाब अधिनियम सं० 24§
- 1- धारा 1 में, उपधारा §2§ के स्थान पर निम्न-लिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-
- §2§ यह तुल्य प्रवृत्त होगी ।
- 2- धारा 3 का लोप किया जाएगा ।

## उपसंघ

पंजाब साधारण विद्युत-कर (संशोधन और विधिमार्गकरण) अधिनियम, 1987  
(1987 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 8)

§पंजाब के राज्यपाल की अनुमति तारीख 9 अप्रैल, 1987 को प्राप्त §  
पंजाब साधारण विद्युत-कर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के लिए

## अधिनियम

एतत् पंजाब के अठ्तीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह विनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विद्युत-कर [संशोधन और विधिमार्गकरण] अधिनियम, 1987 है।

2- 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 2 का संशोधन- पंजाब साधारण विद्युत-कर अधिनियम, 1948 की §जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है§ धारा 2 में, -



§ अ § खंड § य § में, निम्नलिखित अंत में किंतु स्पष्टीकरण के पूर्व अंत :- स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो निम्नलिखित के कारबार में लगा हुआ है,-

§ i §

संविदा के अनुसरण से अन्यथा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति का अंतरण,

§ ii §

संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में संपत्ति का अंतरण § चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में §,

§ iii §

अवक्य पर या किस्तों द्वारा संदाय की किसी पदति में माल का परिधान,

§ iv §

नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रयोजन के लिए किसी माल का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण § चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं §, और

§ v §

ऐसे माल का, जो मानव उपयोग के लिए साध या कोई अन्य वस्तु हो अथवा किसी पैय का § जो मादक हो या नहीं § किसी सेवा के रूप में या उसके भाग रूप में या किसी भी अन्य रीति से प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या ऐसी सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है,

§ आ §

खंड § ग § के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

§ ग § " माल " से अभिप्रेत है सभी प्रकार की जंगम संपत्ति और समाधारपत्रों, अनुयोज्य दावों, स्टॉक, शेयरों या प्रतिभूतियों से भिन्न कारबार के परिसर में खपत किया गया माल और इसके अन्तर्गत संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल सहित सभी सामग्री, वाणिज्य और वस्तुएं § चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में § है या वह माल जिसका उपयोग जंगम संपत्ति को सञ्चित करने, उसका सुचारु या उनकी मरम्मत करने में किया जाता है,

§ इ § खंड § बब § में, निम्नलिखित अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है,-

§ i §

संविदा के अनुसरण से अन्यथा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति का अंतरण,

§ ii §

संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में संपत्ति का अंतरण § चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में §

§ iii §

अवक्य पर या किस्तों द्वारा संदाय की किसी पदति में माल का परिधान,

§ iv §

नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रयोजन के लिए किसी माल का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण § चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं §,

§ 1/§ ऐसे माल का, जो मानव उपयोग के लिए खाद्य या कोई अन्य वस्तु हो अथवा किसी पेय का § जो मावक हो या नहीं § किसी सेवा के रूप में या उसके भाग रूप में या किसी भी अन्यरीति से प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या ऐसी सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है,

और किसी माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय को उस व्यक्ति द्वारा इस माल का क्रय समझा जाएगा जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय उस व्यक्ति से किया जाता है जिसके द्वारा अंतरण, परिदान या प्रदाय किया जाता है,

§ 1/§ खंड § 2/§ के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

§ 2/§ विक्रय से अभिप्रेत है नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल में संपत्ति का कोई अंतरण और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:-

§ 2/i/§ संविदा के अनुसरण से अन्यथा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति का अंतरण

§ 2/ii/§ संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्विलित माल में संपत्ति का अंतरण § चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में §,

§ 2/iii/§ अवक्य पर या किस्तीं द्वारा संदाय की किसी पद्धति में माल का परिदान,

§ 2/iv/§ नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रयोजन के लिए किसी माल का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण § चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं §,

§ 2/v/§ किसी अनिर्गमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय,

§ 2/vi/§ ऐसे माल का, जो मानव उपयोग के लिए, खाद्य या कोई अन्य वस्तु हो अथवा किसी पेय का § जो मावक हो या नहीं § किसी सेवा के रूप में या उसके भागरूप में या किसी भी अन्य रीति से प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या ऐसी सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है,

और किसी माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय को किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरण, परिदान या प्रदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा इस माल का विक्रय समझा जाएगा जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय किया जाता है किंतु इसके अन्तर्गत बंधक, आडमान, प्रभार या गिरवी नहीं है,

§ 3/§ खंड § 3/§ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

"§ 3/§ "आवर्त" के अन्तर्गत किसी व्याहारी द्वारा दी गई अवधि के दौरान वस्तुतः किया गया विक्रय और क्रय तथा विक्रय और क्रय के भागों की रकमों का योग है जिसमें से



साधारण व्यापार पदति के अनुसार नकद छूट और व्यापार छूट के रूप में अनुज्ञात किसी राशि को घटा दिया जाएगा किंतु इसके अन्तर्गत व्यापारी द्वारा माल की बाबत उसके परिदान के समय या उसके पूर्व की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई राशि होगी ।

**स्पष्टीकरण-§1§** किसी ऐसे व्यापारी द्वारा, जो पंजाब के भीतर और बाहर कारबार करता है, पंजाब राज्य के बाहर किए गए किसी विक्रय के आगम आवर्त में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे ।

**स्पष्टीकरण-§2§** औपनिवेशिक संधि के संव्यवहार के संबंध में, जिसमें माल का वस्तुतः परिदान नहीं किया जाता है, किसी व्यापारी का आवर्त आवर्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण-§3§** खंड §चच§ के उपखंड §iii§ और खंड §ज§ के उपखंड §iii§ के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहारों के संबंध में आवर्त में सम्मिलित की जाने वाली रकम अवक्य करार के अधीन अवक्यता द्वारा उस माल में, जिससे करार संबंधित है, संपत्ति के कर्तव्य या अर्जन को पूरा करने के लिए संवेद्य कुल राशि होगी और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई राशि है जो अवक्यता द्वारा अवक्य करार के अधीन निक्षेप या अन्य प्रारम्भिक संवाय के रूप में संवेद्य है, या किसी ऐसे निक्षेप या संवाय मददे ऐसे करार के अधीन उसके पास जमा की गई है या जमा की जानी है, चाहे वह राशि स्वामी को या किसी व्यक्ति को दी जानी है या दी गई है अथवा घन का संवाय करके या माल का अंतरण या परिदान करके या किसी अन्य साधन द्वारा उन्मोचित की जानी है या की गई है, किंतु इसके अन्तर्गत करार के भंग के लिए शास्तिस्वरूप या प्रतिकर या नुकसान के रूप में संवेद्य कोई राशि नहीं है ।

**स्पष्टीकरण-§4§** किसी संकर्म संधि के अधीन विक्रय किए जाने के लिए करार किए गए जंगम माल की बाबत आवर्त में सम्मिलित की जाने वाली रकम उसकी विक्रय कीमत होगी। ; और

§ऊ§ खंड §ठ§ के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"§ड§" संकर्म संधि के अन्तर्गत नकदी, आस्थायिक संवाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, संरचना, परिनिर्माण करने, उसे संस्थापित, सज्जित करने, उसमें सुधार लाने, उपांतरण करने, उसकी मरम्मत करने या किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का कार्य चालू करने का कोई करार है ।

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 27 का संशोधन-मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा §2§ में, खंड §घ§ के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"§न§ धारा 2 के खंड §घघ§ के उपखंड §i§ से उपखंड §v§ और खंड §ज§ के §i§ से §iv§ के प्रयोजनों के लिए आवर्त का अवधारण और कराधेय मात्रा।" ।

## 4. कतिपय उपबंधों, विधिमन्थन और छूट का मूलतः प्रभाव-

§ 1. माल के विक्रय या क्रय पर कर से संबंधित मूल अधिनियम के उपबंधों के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत ऐसे माल के, जो मानव उपयोग के लिए साध या कोई अन्य वस्तु है, या किसी पेय के छोड़े वह मादक है या नहीं। नकदी, आस्थायित संवाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी सेवा के

रूप में या उसके भागरूप में या किसी भी अन्य रीति से प्रवायपर कर जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में पूर्वोक्त कर कहा गया है। है और संवधान अध्यात्मिसर्वा संशोधन अधिनियम, 1982 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् ऊपर निर्दिष्ट प्रकृति के प्रवाय के रूप में प्रत्येक संव्यवहार के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत विक्रय के रूप में वह संव्यवहार है जिसकी बाबत ऐसा प्रवाय करने वाला व्यक्ति विक्रता है और वह व्यक्ति, जिसको ऐसा प्रवाय किया जाता है, कर्ता है और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, मूल अधिनियम का कोई ऐसा उपबंध जिसने पूर्वोक्त कर अधिरोपित किया या उसे अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत किया, या जिससे अधिरोपित किया जाना या अधिरोपित किए जाने के लिए प्राधिकृत किया जाना तात्पर्यित था, अधिमन्थन नहीं समझा जाएगा या कभी यह समझा जाएगा कि वह अधिमन्थन रहा है, और तदनुसार-

मूल अधिनियम के अधीन उद्गृहीत या संगृहीत अथवा उद्गृहीत या संगृहीत किया जाना तात्पर्यित पूर्वोक्त कर को सदैव विधि के अनुसार विधिमन्थन रूप से उद्गृहीत या संगृहीत समझा जाएगा,

§ 2. मूल अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पूर्वोक्त कर के निर्धारण और पुनः निर्धारण के संबंध में किए गए सभी कार्यों, कार्यवाहियों या की गई सभी बातों या कार्रवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा कि वे विधि के अनुसार की गई हैं,

§ 3. ऐसे किसी पूर्वोक्त कर के, जिसे संगृहीत किया गया है, प्रतिवाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष न तो चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी, और न ही उसके प्रतिवाय का निवेश देने वाली किसी डिक्री या आदेश को कोई प्रवर्तन किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा,

§ 4. पूर्वोक्त कर का निर्धारण, पुनःनिर्धारण और वसूली, यदि पहले नहीं की गई है तो, मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार की जाएगी।



§ 2§ उपधारा § 1§ में किसी बात के होते हुए भी, उसमें निर्विष्ट प्रकृति के किसी प्रदाय को पूर्वोक्त कर से वहाँ छूट प्राप्त होगी,

§ क§ जहाँ पेसा प्रदाय किसी रेस्तरां या भोजनालय चाहे उसका कोई भी नाम हो§ द्वारा 7 सितंबर, 1978 को या उसके पश्चात् किसी समय और पंजाब साधारण विक्रय कर § संशोधन और विधिमन्थनकरण § अधिनियम, 1987 के प्रारंभ के पूर्व किया गया है और पूर्वोक्त कर ऐसे प्रदाय पर इस आधार पर संगृहीत नहीं किया गया है कि कोई पेसा कर उस समय उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जा सकता था, या

§ ख§ जहाँ पेसा प्रदाय, जो किसी रेस्तरां या भोजनालय § चाहे उसका कोई भी नाम हो§ द्वारा किया गया कोई पेसा प्रदाय नहीं है, 4 जनवरी, 1972 को या उसके पश्चात् किसी समय और ऐसे प्रारंभ के पूर्व किया गया है और पूर्वोक्त कर ऐसे प्रदाय पर इस आधार पर संगृहीत नहीं किया गया है कि कोई पेसा कर उस समय उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जा सकता था:

परंतु यह साबित करने का भार कि यथास्थिति, खंड § क§ या खंड § ख§ में निर्विष्ट प्रकृति के किसी प्रदाय पर पूर्वोक्त कर संगृहीत नहीं किया गया था, उस व्यक्ति पर होगा जो इस उपधारा के अधीन छूट का दावा कर रहा है ।

§ 3§ § क§ मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड § ख§, खंड § चच§ और खंड § ज§ के उपखंड § i§ के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा कि उसे 2 फरवरी, 1983 से रखा गया है ।

§ ख§ किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के किसी निर्णय डिक्ली या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, पूर्वोक्त खंडों के प्रत्येक के उक्त उपखंड § i§ में निर्विष्ट माल के संबंध में उक्त तारीख से उद्गृहीत या संगृहीत अथवा उद्गृहीत या संगृहीत किया जाना तात्पर्यित सभी करों के बारे में यह समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा कि वे विधि के अनुसार विधिमन्थन रूप से उद्गृहीत या संगृहीत किए गए हैं मानो यह उपबंध सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त रहा था जब पेसा कर उद्गृहीत या संगृहीत किया गया था और तदनुसार,-

§ i§ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा ऐसे कर के उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में किए गए सभी कार्यों, कार्यवाहियों या सभी बातों या कार्यवाहियों के बारे में सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा कि वे विधि के अनुसार विधिमन्थन रूप से की गई हैं,

§ ii§ इस प्रकार संवत्त किसी कर के प्रतिदाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष न तो चलाई जाएगी न जारी रखी जाएगी,

§ iii§ इस प्रकार संवत्त किसी कर के प्रतिदाय का निवेश देने वाली किसी डिक्ली या आदेश को कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी प्रवर्तित नहीं करेगा।

§ 4§ शक्यों को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा § 1§ और उपधारा § 3§ के खंड § ख§ के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति को, -

§ i§ मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पूर्वोक्त करके निर्धारण, पुनः निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण के प्रति आक्षेप करने से,

§ ii§ किसी ऐसी विधि के अधीन उससे शोध्य रकम से अधिक उसके द्वारा संवत्त पूर्वोक्त कर के प्रति वाय का दावा करने से,

निवारित करती है ।

पंजाब साधारण विध्य-कर § संशोधन§ अधिनियम, 1990  
1990 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 3

भारत गणराज्य के इक्तालीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित  
पंजाब साधारण विध्य-कर अधिनियम, 1948 का  
और संशोधन करने के लिए  
अधिनियम

राष्ट्रपति, पंजाब राज्य विधान-मंडल § शक्तियों का प्रत्यायोजन§ अधिनियम, 1987 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिनियम करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: § 1§ इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विध्य-कर § संशोधन§ अधिनियम, 1990 है।

§ 2§ यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. धारा 5 का संशोधन- पंजाब साधारण विध्य-कर अधिनियम, 1948 की § जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है § धारा 5 की उपधारा § 1§ में, "एक रूप में सात पैसे" और "एक रूप में दस पैसे" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "एक रूप में आठ पैसे" और "एक रूप में बारह पैसे" शब्द रले जाएंगे ।

3. नई धारा 10 का अंतःस्थापन- मूल अधिनियम में, धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"10क. इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि राज्य के औद्योगिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह उतनी अवधि के लिए, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, उद्योगों के ऐसे वर्ग के विरुद्ध शोध्य कर के संदाय को आस्थगित कर सकेगी।"

4. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"30क. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि राज्य के औद्योगिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह उतनी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कर के संदाय से उद्योगों के ऐसे वर्ग को छूट दे सकेगी।"



पंजाब साधारण विक्रय कर [दूसरा संशोधन] अधिनियम, 1983

[1993 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 24]

[राज्यपाल की अनुमति 17 अगस्त, 1993 को प्राप्त]

पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948 का

और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमति हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- [1] इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय-कर [दूसरा संशोधन] अधिनियम, 1993 है।

[2] यह 28 जून, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 की धारा 5 का संशोधन- पंजाब साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 की [जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है] धारा 5 में, -

[i] उपधारा [1] में, तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा, और

[ii] उपधारा [3] के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"[4] इस अधिनियम के किसी उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि माल के किसी वर्गों या वर्ग की बाबत कोई व्यावहारिक ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, एक मुश्त कर का संवाय करेगा।"

3. निरसन और व्यावृत्ति- [1] पंजाब साधारण विक्रय-कर [दूसरा संशोधन] अध्यादेश, 1993 [1993 का पंजाब अध्यादेश संख्यांक 2] इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

[2] ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा [1] में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

[फा. सं. सू. 11015/3/97-सू. टी. एल.(194)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 1999

**G.S.R. 111 (E).**— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the enactments specified in column (1) of the Schedule annexed hereunder, as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the modifications specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule

**SCHEDULE**

(1)	(2)
1. The Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1987 (Punjab Act No. 8 of 1987).	1. In section 2,— (a) for the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948 as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted; (b) in clause (E), in Explanation (1) of the substituted clause (i), for the words "State of Punjab" and "Punjab" the words "Union territory of Chandigarh" and "Chandigarh" shall respectively be substituted. 2. In section 4, for the words "State Government", at both the places, the words "Central Government" shall be substituted
2. The Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1990 (President's Act No. 3 of 1990)	1. In section 2, for the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words and figures "the Punjab General Sales Tax Act, 1948, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted 2. In section 3, (in new section 10-A) and in section 4 (in new section 30-A), for the words "State Government" and the word "State", the words "Central Government" and "Union territory" shall respectively be substituted.
3. The Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1993 (Punjab Act No. 24 of 1993).	1. In section 1, for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :— "(2) It shall come into force with immediate effect" 2. Section 3 shall be omitted.

[F No V-11015/3/97-VTL(194)]  
P. K. JALALI, Jt. Secy

**ANNEXURE**

**THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1987  
Punjab Act No. 8 of 1987**

[Received the assent of the Governor of Punjab on the 9th April, 1987]

*An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948*

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title*—This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Act, 1987
2. *Amendment of section 2 of Punjab Act 46 of 1948.* In the Punjab General Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act) in section 2—  
(A) in clause (d), the following shall be inserted at the end, but before the Explanation, namely :—  
and also includes a person engaged in the business of—  
(i) transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration ;  
(ii) transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract,  
(iii) delivery of goods on hire-purchase or any system of payment by instalments;  
(iv) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration, and



(v) supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration:"

(B) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) 'goods' means all kinds of movable property and goods consumed at business premises other than newspapers, actionable claims, stocks, shares or securities and includes all materials, commodities and articles including the goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract or those goods which are used in the fitting out, improvement, or repair of movable property;"

(C) in clause (ff), the following shall be inserted at the end, namely :—

"and includes,—

(i) transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration:

(ii) transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract:

(iii) delivery of goods on hire-purchase or any system of payment by instalments;

(iv) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration:

(v) supply, by way of or part of any service or in any other manner whatsoever of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating) where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration .

and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a purchase of these goods by the person to whom such transfer, delivery or supply is made from the person by whom the transfer, delivery or supply is made;"

(D) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely :—

"(h) 'sale' means any transfer of property in goods other than goods specified in Schedule C for cash, deferred payment or other valuable consideration and includes.—

(i) transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration:

(ii) transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract:

(iii) delivery of goods on hire-purchase or any system of payment by instalments;

(iv) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration:

(v) supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration:

(vi) supply by way of or as part of any service or in any other manner, whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating) where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.

and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of these goods by the person making the transfer, delivery or supply to a person to whom such transfer, delivery or supply is made but does not include a mortgage, hypothecation, charge or pledge;"

(E) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) 'turnover' includes the aggregate of the amounts of sales and purchases and parts of sales and purchases actually made by any dealer during the given period less any sum allowed as cash discount and trade discount according to ordinary trade practice, but including any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before, delivery thereof

*Explanation.* (1) The proceeds of any sale made outside the State of Punjab by a dealer, who carries on business both inside and outside Punjab shall not be included in the turnover.

*Explanation.* (2) The turnover of any dealer in respect of transaction of forward contract, in which goods are actually not delivered, shall not be included in the turnover.

*Explanation.* (3) In respect of transaction covered under sub-clause (iii) of clause (ff) and sub-clause (iii) of clause (h) the amount to be included in the turnover shall be the total sum payable by the hirer under a hire-purchase agreement in order to complete the purchase of, or the acquisition of property in the goods to which the agreement related and includes any sum as payable by the hirer under the hire-purchase agreement by way of deposit or other initial payment, or credited or to be credited to him under such agreement on account of any such deposit or payment whether that sum is to be or has been paid to owner or to any person or is to be or has been discharged by payment of money or by transfer or deliver of goods or by any other means; but does not include any sum payable as a penalty or as compensation or damages for breach of the agreement.

*Explanation.* (4) The amount to be included in the turnover in respect of movable goods agreed to be sold under a works contract, shall be its sale price."



after clause (1), the following clause shall be inserted, namely :—

“(m) ‘works contract’ includes any agreement for carrying out, for cash, deferred payment or other valuable consideration, the building, construction, manufacturing, processing, fabrication, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repairs or commissioning of any movable or immovable property.”.

3. *Amendment of Section 27 of Punjab Act 46 of 1948.*—In the principal Act, in section 27, in sub-section (2), after clause (s), the following clause shall be inserted, namely :—

“(l) the determination of turnover and taxable quantum for the purposes of sub-clauses (i) to (v) of clause (ff) and (i) (iv) of clause (h) of section 2.”

4. *Retrospective effect to certain provisions, validation and exemption.*—(1) The provision of the principal Act relating to tax on the sale or purchase of goods shall be deemed to include, and shall be deemed always to have included, a tax (hereinafter in this section referred to as the aforesaid tax) on the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating) for cash, deferred payment or other valuable consideration, and every transaction by way of supply of the nature referred to above made before or after the commencement of the Constitution (Forty-sixth Amendment) Act, 1982 shall be deemed to be, and shall be deemed always to have been, a transaction by way of sale, with respect to which the person making such supply is the seller and the person to whom such supply is made, is the purchaser, and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, no provisions of the principal Act which imposed or authorised the imposition of, or purported to impose or authorise the imposition of, the aforesaid tax shall be deemed to be invalid or ever to have been invalid, and accordingly.—

(a) the aforesaid tax levied or collected or purporting to have been levied or collected under the principal Act shall be deemed always to have been validly levied or collected in accordance with law ;

(b) all acts, proceedings or things done or actions taken in connection with the assessment and of the aforesaid tax by any officer appointed by the State Government under the principal Act shall be and shall always be deemed to have been done or taken in accordance with law ;

(c) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any court or before any tribunal or authority for the refund of, and no enforcement shall be made by any court, tribunal or authority of any decree or order directing the refund of, any such aforesaid tax which has been collected ;

(d) assessment, reassessment and recoveries of aforesaid tax if not already made, shall be made in accordance with the principal Act, as amended by this Act, notwithstanding anything contained in the principal Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any supply of the nature referred to therein shall be exempt from the aforesaid tax,—

(a) where such supply has been made by any restaurant or eating house (by whatever name called) at any time on or after the 7th day of September, 1978 and before the commencement of the Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1987 and the aforesaid tax has not been collected on such supply on the ground that no such tax could have been levied or collected at that time ; or

(b) where such supply, not being any such supply by any restaurant or eating house (by whatever name called), has been made at any time on or after the 4th day of January, 1972, and before such commencement and the aforesaid tax has not been collected on such supply on the ground that no such tax could have been levied or collected at that time:

Provided that the burden of proving that the aforesaid tax was not collected on any supply of the nature referred to in clause (a) or, as the case may be, clause (b), shall be on the person claiming the exemption under this sub-section.

(3) (a) Sub-clause (i) of each of clauses (d), (ff) and (h) of section 2 of the principal Act shall be deemed to have been substituted with effect from the 2nd day of February, 1983.

(b) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, all taxes levied or collected or purporting to have been levied or collected from the said date in relation to the goods referred in the



said sub-clause (i) of each of the aforesaid clauses, shall be deemed to be and to have always been validly levied or collected in accordance with law as if this provision had been in force at all material times when such tax was levied or collected and accordingly.—

(i) all acts, proceedings or things done or taken in connection with the levy or collection of such tax by the person appointed by the State Government under the principal Act shall, for all purposes, be deemed to be and to have always been validly done or taken in accordance with law;

(ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any tribunal or other authority for the refund of any tax so paid;

(iii) no court, tribunal or other authority shall enforce any decree or order directing the refund of any tax so paid.

(4) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in sub-section (i) and clause (b) of sub-section (3) shall be construed as preventing any person.—

(i) from questioning in accordance with the provisions of the principal Act, the assessment, reassessment, levy or collection of the aforesaid tax;

(ii) from claiming refund of the aforesaid tax paid by him in excess of the amount due from him under any such law.

### THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 1990

#### President's Act No. 3 of 1990

Enacted by the President in the Forty-first Year of the Republic of India

AN

ACT

further to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Punjab Legislature (Delegation of Powers) Act, 1987, the President is pleased to enact as follows:—

1 Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1990

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 5.**—In the Punjab General Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 5, in sub-section (1), for the words "seven paise in a rupee" and "ten paise in a rupee", the words "eight paise in a rupee" and "twelve paise in a rupee" shall, respectively, be substituted.

3 **Insertion of new section 10A**—In the principal Act, after section 10, the following section shall be inserted, namely:—

"10—A. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the State Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of industrial development of the State, may defer the payment of tax due against such class of industries, for such period, either prospectively or retrospectively and subject to such conditions, as may be prescribed."

4 In the principal Act after section 30, the following section shall be inserted, namely:—

"30—A. The State Government may, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of industrial development of the State, exempt such class of industries from the payment of tax, for such period and subject to such conditions, as may be prescribed."

**THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 1993****(Punjab Act No. 24 of 1993)**

(Received the assent of the Governor on 17th August, 1993 )

An Act further to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Act, 1993.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 28th day of June, 1993.

2. **Amendment of section 5 of Punjab Act 46 of 1948.**— In the Punjab General Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 5,—

(i) in sub-section (1), the third proviso shall be omitted; and

(ii) after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in any provision of this Act, the Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may, by notification in the Official Gazette, direct that in respect of any classes or class of goods a dealer shall pay such lump sum tax and subject to such conditions, as the Government may specify in the notification."

3. **Repeal and Saving.**—(1) The Punjab General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1993 (Punjab Ordinance No. 2 of 1993), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act.